आदेश की कम सं0 और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) **अधिहरण वाद सं0–03/2023** **राज्य–बनाम–अनिल कुमार वर्मा एवं अन्य**(सरिया थाना कांड सं0–126/23)	
07/06/24	अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक–8748/अप0शा0 दिनांक–06.12.2023 के द्वारा सरिया थाना कांड सं0–126/23, दिनांक–01.08.2023, धारा–379/414/411 भा0द0वि0, 22 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली–2004, 9/13 झारखण्ड खनिज(अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) एवं 3 प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टु पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट–1984 में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा जप्त ट्रैक्टर 1.ट्रैक्टर इंजन न0 CJ1354/PF006022 एवं चेचिस नं0 MBNAK48ACPTGO8906 2. ट्रैक्टर इंजन न0 PY3029D528799 एवं चेचिस नं0 1VY5039DOKA006355 3. ट्रैक्टर इंजन न0 331008/SWK03630 एवं चेचिस नं0 WYTK24419145659 4. ट्रैक्टर इंजन न0 391355/SDA00033 एवं चेचिस नं0 MBNAN48ADMTA12523 के विरूद्ध राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं0 03/2023 राज्य–बनाम–अनिल कुमार वर्मा एवं अन्य (सरिया थाना कांड सं0 126/23 में जप्त वाहन) का संधारण कर सुनवाई प्रारंम्भ की गई। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं0 09/2022 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. 1212 of 2023 सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 की कंडिका–6 जो निम्नवत् है:– *"In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is, hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law."*	

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस (अधिहरण वाद सं0 03/2023 राज्य–बनाम–अनिल कुमार वर्मा एवं अन्य, सरिया थाना कांड सं0 126/23 में जप्त वाहन) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित,

Sd/- 07/06/24
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Sd/- 07/06/24
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 446 /न्या0 दिनांक 7/6/2024

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक–8748/अप0शा0 दिनांक 06.12.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 07/06/24
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Digitally signed by NAMAN PRIYESH LAKRA
Date: 2024.06.09 19:46:14 +05:30
Location: 192.168.0.123